न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 31/2018 **दायरा दिनांक : 26.02.2018**

उनवान

1— शिवलाल वल्द धूलीलाल, जाति भील, निवासी ग्राम गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— लालचन्द वल्द धूलीलाल, जाति भील, निवासी ग्राम गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— जगदीश वल्द धूलीलाल, जाति भील, निवासी ग्राम गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— नन्दकिशोर वल्द धूलीलाल, जाति भील, निवासी ग्राम गेहूँखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— बापूलाल (माता नन्दू बाई) वल्द गोपीलाल, जाति मोग्या, निवासी ग्राम आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

2— दुर्गालाल (माता नन्दू बाई) वल्द गोपीलाल, जाति मोग्या, निवासी ग्राम आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 16.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 59/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर ग्राम भरतपुरा, तहसील अकलेरा के खसरा नम्बर 123, 178, 180, 229/122 की कुल 4 किता की 8 बीघा 12 बिस्वा के मामले में डिक्री कर अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया है । विवादित आराजी अपीलांट के पूर्वज द्वारा खातेदार नन्दूबाई से 95/– रूपये में दिनांक 28.05.2001 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । नन्दू बाई ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजी के बाबत बेदखली की कार्यवाही नहीं की । नन्दूबाई की मृत्यु होने पर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने राजस्व रेकार्ड में अपना नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत कर दिया, जो अवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई तनकी कायम नहीं की । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व साक्ष्य का उचित अवलोकन नहीं किया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट के पूर्वज द्वारा खातेदार नन्दूबाई से 95/– रूपये में दिनांक 28.05.2001 को आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । नन्दू बाई ने अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजी के बाबत बेदखली की कार्यवाही नहीं की । नन्दूबाई की मृत्यु होने पर रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 ने राजस्व रेकार्ड में अपना नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ

न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर कोई तनकी कायम नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2007 (2) पेज 1093, आर आर टी 2015 (2) पेज 1377 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अपीलांट आराजी को क्रय करना बताते हैं, परन्तु उनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है । अवैधानिक दस्तावेज के आधार पर उन्हें कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं होते हैं । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 2018 पेज 51, आर आर डी 2018 पेज 23 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया एवं निर्णय व दस्तावेजों का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजों एवं बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खतौनी संख्या 42 की खसरा नम्बर 123 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 180 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 229/122 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 4 किता की 8 बीघा 12 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट बापूलाल वल्द गोपी लाल एवं दुर्गा लाल वल्द गोपी लाल की खातेदारी में सम्वत 2071–74 की जमाबंदी में दर्ज है । अपीलांट के द्वारा बहस के दौरान यह कथन किया गया कि रेस्पोडेंट की माता नन्दू बाई के पिता देवीलाल ने 40 वर्ष पूर्व आराजी अपीलांट के पिता को बेचान कर दी थी तब से अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त आराजी में निर्विरोध एवं निर्विवाद चला आ रहा है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज फरमाया जाये, परन्तु इस सम्बन्ध में अपीलांट के द्वारा केवल मौखिक कथन किया गया है इसको सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । रेस्पोडेंट इसके खातेदार दर्ज है । यहां रेवेन्यु बोर्ड के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा निर्णय दिनांक 30.08.2018 का भी उल्लेख करना उचित होगा कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा